

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा ( नागौर ) राजस्थान

प्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कालेडा

बनाम

अप्रार्थी- रुधनाथराय/अक्षर निवासी भ्रुवांस अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 91 / 2018

निर्णय दिनांक 9.10.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेडा ने अप्रार्थी के विरुद्ध पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सन्वत् 2075 में सरहद भ्रुवांस के खसरा नम्बर 23 में किस्म जै.मु.आकर मेंसे रकबा 0.05 हेक्टर भूमि में 875 लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर बाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को धारते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी रुधनाथराय से नोटिस तामीन होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री 1 ने दिनांक 1 को उपरोक्त होकर जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं निरीक्षक भूअ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम भ्रुवांस खसरा नम्बर 23 में किस्म जै.मु.आकर मेंसे रकबा 0.05 हेक्टर भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया गया है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6/- रुपये प्रति हेक्टर की दर से अतिक्रमण रकबा 0.05 हेक्टर भूमि के 0.30 रुपये लगान का 50 गुणा 15/- अक्षर पत्र रुपये बतौर जुर्माना ठिकित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को कमरा: गंगा आयपी व वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से अतिक्रमण रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 9.10.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर